राजस्थान सरकार

**न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0**

**पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार**

**मिसल संख्या :** 34 / 17

**किस्म मुकदमा :** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

**तारीख दर्ज :** 22.09.2017 **निर्णय दिनांक :** 03.11.2017

**राजस्थान सरकार** बनाम गुमानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट नि0 जसराना

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूपपुरा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गुमानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराना नें ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर में से रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर सम्वत 2074 में बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त रास्ता के बदले में ने मेरी खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा में 24 फिट चौड़ा रास्ता दे रखा है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम जसराना के आराजी राज खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर

लगातार

लगाान 0.50 का पच्चास गुणा से राशि 25/– अक्षरे पच्चीस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

**निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से ज़ारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(भींमसिंह लिखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0